

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज-पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	<b>माघ 22, बुधवार, शाके 1947 - फरवरी 11, 2026</b> Magha 22, Wednesday, Saka 1947- February 11, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी  
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

**वित्त विभाग**  
**(कर अनुभाग)**  
**अधिसूचना**  
**जयपुर, फरवरी 11, 2026**

**एस.ओ.163.-**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2024-88 दिनांक 10.07.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 31 मार्च, 2004 से पूर्व निष्पादित और स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लंबित लिखत के मामले में और उक्त कालावधि की बाजार दरें उपलब्ध नहीं हैं तो स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	निष्पादन की कालावधि	संदेय स्टाम्प शुल्क
1.	यदि दस्तावेज 31 मार्च, 1995 तक निष्पादित किया गया है	कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के विद्यमान बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर।
2.	यदि दस्तावेज 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2000 के मध्य निष्पादित किया गया है	कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के विद्यमान बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर।
3.	यदि दस्तावेज 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2004 के मध्य निष्पादित किया गया है	कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के विद्यमान बाजार मूल्य के 40 प्रतिशत पर।

**टिप्पण:** यदि उपर्युक्त कालावधियों की बाजार दरें उपलब्ध हैं तो स्टाम्प शुल्क ऐसी बाजार दरों के आधार पर संगणित और प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2026-126]

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव।

**वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, फरवरी 11, 2026**

**एस.ओ.164.-**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/ कर/2024-78 दिनांक 10.07.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी व्यक्ति, जो राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अनुमति एवं आबंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप-नियम (3) या नियम 19 के उप-नियम (1) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी से पट्टा विलेख प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा पट्टा विलेख प्राप्त करने के अपने अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन या अंतरण के प्रयोजन के लिए निष्पादित समनुदेशन विलेख, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	राज्य सरकार की विद्यमान टाउनशिप पालिसी के अधीन अनुमोदित प्लॉट परियोजना से संबंधित भूमि के संबंध में समनुदेशन की प्रकृति की कोई लिखत	ऐसी प्रत्येक लिखत पर पांच सौ रुपये।
2.	राज्य सरकार की विद्यमान टाउनशिप पालिसी के अधीन सामूहिक आवासन परियोजना से संबंधित भूमि के संबंध में समनुदेशन की प्रकृति की कोई लिखत	संपत्ति, जिसके संबंध में समनुदेशन विलेख निष्पादित किया गया है, के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत।

3.	भूमि के संबंध में समनुदेशन की प्रकृति की कोई लिखत जहां नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा राज्य सरकार की विद्यमान टाउनशिप पालिसी के अधीन या अन्यथा एकल पट्टा जारी किया गया है	संपत्ति, जिसके संबंध में समनुदेशन विलेख निष्पादित किया गया है, के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत।
----	---	---

[प.4(2)वित्त/कर/2026-127]

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव।

वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, फरवरी 11, 2026

**एस.ओ.165.**-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(97)वित्त/कर/2010-11 दिनांक 25.04.2011 और प.4(2)वित्त/कर/2024-93 दिनांक 10.07.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक क्रमशः 3 और 4 में उनके प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित की जायेगी:-

## सारणी

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क	रजिस्ट्रीकरण फीस
1	2	3	4
1.	संपादन आस्तियों (मानक आस्तियां) के संबंध में निष्पादित ऋण समनुदेशन	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए ऋण की रकम का 0.5 प्रतिशत।

2.	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन जारी की गयी प्रतिभूति रसीदें	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए सकल आस्ति मूल्य की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए सकल आस्ति मूल्य की रकम का 0.5 प्रतिशत।
3.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पन्द्रह लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.5 प्रतिशत।
4.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 6 में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.5 प्रतिशत।
5.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 30 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त प्रभार की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त प्रभार की रकम का 0.5 प्रतिशत।
6.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 37 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का 0.5 प्रतिशत।
7.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 50 में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिभूत रकम और/या बंधकित सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिभूत रकम और/या बंधकित सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत।

8.	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 3, 4, 5, 6 और 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में यथाविनिर्दिष्ट कोई लिखत, यदि सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के पक्ष में निष्पादित की गयी है।	अधिकतम दस लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए क्रम संख्यांक क्रमशः 3, 4, 5, 6 या 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित लिखतों के लिए स्तम्भ संख्यांक 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर का आधा।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए क्रम संख्यांक क्रमशः 3, 4, 5, 6 या 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित लिखतों की रकम, जिस पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है, का 0.5 प्रतिशत।
----	--	--	--

[प.4(2)वित्त/कर/2026-128]

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2026

**एस.ओ.166.**-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, संपूर्ण राज्य के लिए भूमि के निम्नलिखित प्रवर्गों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए इसके द्वारा निम्नानुसार दरें अवधारित करती है :-

### 1. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें,-

(i) रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी; और

(ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी किन्तु यदि ऐसी दरें निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों से अधिक हैं तब उस निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी।

### 2. रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें,-

- (i) संस्थानिक भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी;
- (ii) आवासीय भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के दो गुना के समतुल्य होंगी; और
- (iii) वाणिज्यिक भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।

### 3. रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

संस्थानिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या संस्थानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी।

**स्पष्टीकरण:** (i) उन क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि की दरों की जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी है, वहां ऐसी दरें खण्ड 16 के उपबंधों के अनुसार संगणित की जायेंगी।

- (ii) संस्था में शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, छात्रावास, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि सम्मिलित होंगी।

### 4. सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दो गुना के समतुल्य होंगी किन्तु यदि ऐसी दरें निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों से अधिक हैं तब उस निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी।

### 5. एगो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

एगो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या एगो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

### 6. खनन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

- (i) खनन प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या ऐसी कृषि भूमि, जिसके संबंध में खनन प्रयोजनों के लिए भू-स्वामी और पट्टेदार के मध्य सहमति विलेख निष्पादित किया गया है, के मामले में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी।
- (ii) नये खनन पट्टे (चाहे नीलाम के माध्यम से या अन्यथा मंजूर किया गया हो), खनन पट्टे के नवीकरण या खनन पट्टे के अंतरण के मामले में, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।

### 7. रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के पचहत्तर प्रतिशत के समतुल्य होंगी।

### 8. होटल, मोटल, गेस्ट हाऊस और रेस्टोरेंट प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

होटल, मोटल, गेस्ट हाऊस और रेस्टोरेंट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**9. मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के पचास प्रतिशत के समतुल्य होंगी।

**10. कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें**

कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**11. फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि या फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी।

**12. 1000 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय और वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें**

1000 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र. सं.	क्षेत्रफल	जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी या राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों पर आधारित मूल्यांकन निम्नानुसार घटाया जायेगा
1.	1000 से 2000 वर्गमीटर	5%
2.	2000 वर्गमीटर से अधिक और 3000 वर्गमीटर तक	10%
3.	3000 वर्गमीटर से अधिक	15%

**13. कोने के भूखण्डों की दरें**

1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले कृषि भूमि के भूखण्ड को छोड़कर, कोने के भूखण्डों की दरें 10 प्रतिशत अधिक होंगी।

**14. ऐसी भूमि की दरें जिनके लिए मिश्रित भू-उपयोग पट्टा/पट्टा विलेख जारी किया गया है**

रिक्त भूमि के विक्रय या अन्तरण पर, जिसके लिए विकास प्राधिकरणों या नगर सुधार न्यासों या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा मिश्रित भू-उपयोग का पट्टा/पट्टा विलेख जारी किया गया है, ऐसी भूमि की दर उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दर के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी।

**15. विभिन्न भू-उपयोगों के अधीन भूमि की दरें**

भूमि, जो उसके अनुमोदित उपयोग से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है, की दरें इसके वास्तविक उपयोग या इसके लिखत के निष्पादन के समय अनुमोदित उपयोग के प्रवर्ग की दरों, जो भी अधिक हो, के समतुल्य होंगी। किसी भूमि के भावी उपयोग के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

**16. किसी विशिष्ट क्षेत्र की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें जहां ऐसी भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी हैं**

(i) कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के एक तिहाई के समतुल्य होंगी;

- (ii) आवासीय भूमि की दरें, उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के एक तिहाई के समतुल्य होंगी; और
- (iii) वाणिज्यिक भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी।

**17. नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी की सीमाओं के भीतर अवस्थित 2000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें**

नगरीय क्षेत्रों या नगरयोग्य सीमाओं या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी में अवस्थित 2000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**स्पष्टीकरण:** (i) उपर्युक्त दरें विक्रय और दान की लिखत पर लागू होंगी।

- (ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय या दान की लिखत में, क्रेताओं या आदाताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता या आदाता का हिस्सा 2000 वर्गमीटर या उससे कम है, भूमि के ऐसे हिस्से का मूल्य, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।

**18. नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी की सीमाओं से बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी के बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, सिवाय वहां, जहां ऐसी भूमि एकल खसरा में समाविष्ट है या एकल धृति में है या जहां ऐसी भूमि, संलग्न कृषि भूमि के खातेदार द्वारा क्रय की गयी है, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**स्पष्टीकरण:** (i) उपर्युक्त दरें विक्रय और दान की लिखत पर लागू होंगी।

- (ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय या दान की लिखत में, क्रेताओं या आदाताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता या आदाता का हिस्सा 500 वर्गमीटर या उससे कम है, भूमि के ऐसे हिस्से का मूल्य, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।

**19. मोबाइल टावर के प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

मोबाइल टावर के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि या मोबाइल टावर के प्रयोजनों के लिए पट्टाकृत की जाने वाली भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**20. पोल्ट्री फार्म, डेरी या फिशरीज के प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

पोल्ट्री फार्म, डेरी या फिशरीज के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि या पोल्ट्री फार्म, डेरी या फिशरीज के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**21. पर्यटन इकाई प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

खण्ड 22 और 23 में विनिर्दिष्ट इकाइयों को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी पर्यटन नीति/स्कीम में यथा परिभाषित पर्यटन इकाई के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, उस क्षेत्र की औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**22. रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट, स्पा, कैम्पिंग साइट, एम्यूजमेंट पार्क और एनिमल सफारी पार्क प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी पर्यटन नीति/स्कीम में यथा परिभाषित रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट, स्पा, कैम्पिंग साइट, एम्यूजमेंट पार्क या एनिमल सफारी पार्क के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**23. कन्वेंशन सेंटर, सामुदायिक केन्द्र और सामुदायिक हाल प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

कन्वेंशन सेंटर या सामुदायिक केन्द्र या सामुदायिक हाल प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, नगरीय क्षेत्र में उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य और ग्रामीण क्षेत्रों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**स्पष्टीकरण:** उपर्युक्त खण्ड 21, 22 और 23 में विनिर्दिष्ट दरें केवल तभी लागू होंगी जब क्रेता, या यथास्थिति, पट्टाधारक इस संबंध में विद्यमान राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम के अधीन समुचित प्राधिकारी के द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र या अनुमोदन प्रस्तुत करता है। ऐसे हकदारी प्रमाणपत्र या अनुमोदन को स्टाम्प शुल्क से छूट या रियायत के लिए हकदारी प्रमाणपत्र या अनुमोदन नहीं समझा जायेगा।

**24. भाण्डागार प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

भाण्डागार प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, उस क्षेत्र की औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

**25. नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों से लगी हुई कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दरें**

नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों से लगी हुई कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र.सं.	सड़क की चौड़ाई	लागू दरें
1.	40 फीट	संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा यथा विहित।
2.	40 फीट से अधिक और 60 फीट तक	40 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई भूमि पर लागू दरों में दस प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
3.	60 फीट से अधिक किंतु 100 फीट से कम	40 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई भूमि पर लागू दरों में पन्द्रह प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

4.	100 फीट या अधिक	40 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई भूमि पर लागू दरों में बीस प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
----	-----------------	--

**स्पष्टीकरण:-** जिला स्तरीय समिति द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों की भिन्नता के मामले में उच्चतर दरें लागू होंगी।

**टिप्पण:-** (i) उपर्युक्त खण्ड 1 से 25 में विनिर्दिष्ट दरें निष्पादित या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किंतु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा। तथापि, लंबित मामलों में, स्टाम्प शुल्क ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख पर संदेय स्टाम्प शुल्क से अधिक प्रभारित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी विशिष्ट प्रवर्ग की भूमि की दरों के निर्देश के साथ प्रयुक्त "उस क्षेत्र" से, उसी जिला स्तरीय समिति वृत्त के भीतर आने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है।

[प.4(2)वित्त/कर/2026-129]

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव

वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, फरवरी 11, 2026

**एस.ओ.167.-**राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) की धारा 18 और 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2024-65 दिनांक 08.02.2024 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) खण्ड (i) में, अंत में आयी, विद्यमान अभिव्यक्ति "और" हटायी जायेगी;
- (ii) खण्ड (ii) में, अंत में आये, विद्यमान विराम चिह्न " ," के स्थान पर अभिव्यक्ति " ; और " प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान परंतुक से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (iii) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(iii) इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि भूमि धारक द्वारा संदेय भूमि कर की मूल रकम का 25 प्रतिशत 30.09.2026 तक जमा करा दिया जाता है, उस पर संदेय शास्ति और ब्याज के साथ भूमि के समस्त वर्गों पर 08.02.2024 से पूर्व संदेय भूमि कर से;”

[प.4(2)वित्त/कर/2026-130]

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2026

**एस.ओ.168.**-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(9)वित्त/कर-अनु/2001-पार्ट दिनांक 27.02.2002 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि ऋण की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और केवल वर्धित रकम पर प्रभारित किया जायेगा, जहां ऐसी लिखत विद्यमान ऋण की लिखत की निरंतरता में निष्पादित की गयी है और विद्यमान ऋण लिखत इसके निष्पादन के समय सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी।

[प.4(2)वित्त/कर/2026-131]

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2026

**एस.ओ.169.**- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं.14) की धारा 3-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं.

प.4(3)वित्त/कर/2017-129 दिनांक 31.03.2017 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं के विकास और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3-क की उप-धारा (1) के परंतुक के अनुसार 10 प्रतिशत अधिभार से प्रभार्य लिखतों को छोड़कर, उक्त अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन समस्त लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क पर 13 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2026-132]

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2026

**एस.ओ.170.-**राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिबेट और परादेय मांगों और विवादित रकम के निपटान के लिए निम्नलिखित "एमनेस्टी स्कीम-2026", जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.-** (1) इस स्कीम का नाम एमनेस्टी स्कीम-2026 है।  
(2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत्त होगी और 30.09.2026 तक प्रवृत्त रहेगी।

**2. लागू होना.-** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम के सिवाय, यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध 30.06.2017 तक की कालावधि के संबंध में, किसी अधिनियम के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम है।

**3. परिभाषाएं.-** (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-

- (i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);
- (ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);
- (iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);
- (iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);

- (v) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13);
- (vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14);
- (vii) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);
- (viii) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9); और
- (ix) राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11);
- (ख) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है;
- (ग) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "मांग और संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर)" से या तो विभागीय पोर्टल पर या भौतिक रूप में वार्ड स्तर पर किसी निर्धारण से संबंधित परादेय मांग (मांगों) की प्रविष्टियों के प्ररूप में, अन्तर्विष्ट ब्यौरों का रजिस्टर अभिप्रेत है;
- (च) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;
- (छ) "विवादित रकम" से कोई कर, ब्याज, फीस या शास्ति अभिप्रेत है जिसके लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है या जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका लंबित या अनुध्यात है और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो किसी प्राधिकारी द्वारा रिमांड किये गये हैं;
- (ज) "अंतिम रकम" से परादेय मांग की वह रकम या विवादित रकम अभिप्रेत है जो समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने अवधारित की है;
- (झ) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत है; और
- (ञ) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुश्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवादित रकम संबंधित है।

**4. इस स्कीम के अधीन फायदे.-** कर की रिबेट और ब्याज, शास्ति या विलंब फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

### सारणी

कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलंब फीस के अधित्यजन के लिए

क्र. सं.	परादेय मांग या विवादित रकम का प्रवर्ग	शर्तें	कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलंब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	परादेय मांग या विवादित रकम जो एकल प्रविष्टि, या यथास्थिति, एकल मामले में एक करोड रुपये से अधिक नहीं है।	आवेदक ने कर की रकम का 50 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	कर की शेष रकम और इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ, ब्याज, शास्ति और विलंब फीस की संपूर्ण रकम।

#### स्पष्टीकरण:

- (1) जहां कोई आवेदक इस स्कीम के फायदों का उपभोग करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और 30.09.2026 तक या उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, दस दिन के भीतर, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, अपेक्षित अंतिम रकम जमा करा देता है, वह स्कीम में उपलब्ध फायदों के लिए पात्र होगा। यदि, आवेदक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में अंतिम रकम जमा करवाने में असफल रहता है, तो वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नियत समय में अपेक्षित रकम का संदाय करने से निवारित किये जाने के समुचित कारण थे, ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और आवेदक को इस स्कीम के अधीन फायदों का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।
- (2) जहां इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, अपील फाइल किये जाने के लिए जमा की गयी किसी रकम को सम्मिलित करते हुए, जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, मांग और संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर) में समायोजित नहीं किया गया है और यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, तो प्रथमतः यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलंब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि, यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है, तो वह तदनुसार समायोजित की जायेगी। इस स्कीम के फायदे केवल इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार परादेय मांग/विवादित रकम के अतिशेष के लिए ही उपलब्ध होंगे।
- (3) जहां मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति इस स्कीम के अधीन विकल्प देने का आशय रखता है, से संबंधित समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना प्राप्त होने पर वह उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटायेगा।

- (4) विवादित रकम से संबंधित मामले, जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर) में कोई मांग परादेय नहीं है, कर, ब्याज, विलंब फीस और/या शास्ति की रकम मूल निर्धारण/पुनर्निर्धारण आदेश या उक्त विवादित रकम के संबंध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी स्वयं के समक्ष लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, को प्रत्याहृत करेगा या नियत समय के भीतर उपर्युक्त सारणी के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (5) जहां राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) या निरसित अधिनियम (अधिनियमों) के समान उपबंधों के अधीन विभाग द्वारा अभियोजन वाद फाइल किया गया है और आवेदक ने इस स्कीम के अधीन अपेक्षित रकम जमा करा दी है, वहां निर्धारण प्राधिकारी न्यायालय से मामला प्रत्याहृत करने के लिए अग्रसर होगा।

**5. शर्तें.-** इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात्:-

- (i) आवेदक ने सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 और खण्ड 4 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है;
- (ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए वचनबंध इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और
- (iii) किसी वर्ष या किसी अधिनियम से संबंधित कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा यदि वह इस स्कीम के अधीन कर की रिबेट और/या अधित्यजन के कारण किसी भी प्रकार संबंधित है।

**6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.-** (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट [www.rajtax.gov.in](http://www.rajtax.gov.in) पर अपनी रजामंदी इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् संसूचना दी जायेगी।

(3) इस स्कीम के अधीन फायदों का विकल्प देने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग (मांगों) और विवादित रकम के ब्यौरे, इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले संदाय और प्रोद्भूत किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित, इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया, स्पष्टीकरण और कठिनाइयों, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए आदेश ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।

(5) खण्ड 4 की सारणी के क्रम संख्यांक 1 के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद के मामले में, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान का विनिश्चय अंतिम होगा।

7. एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन लंबित मामलों के लिए उपबंध.- (1) जहां व्यवहारी ने एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन संदाय के विकल्प का चयन किया है और 30.09.2025 तक या उस दिन से दस दिन के भीतर जिस पर निर्धारण प्राधिकारी 2025 की उक्त स्कीम के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, जो भी पश्चातवर्ती हो, ऐसे मामले 2025 की उक्त स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(2) उपर्युक्त उप-खण्ड (1) के अधीन नहीं आने वाले ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन कोई टास्क लंबित है, एमनेस्टी स्कीम-2025 की उक्त स्कीम के अधीन दी गयी रजामंदी, इस स्कीम के अधीन दी गयी समझी जायेगी और संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम इस स्कीम के खण्ड 4 की सारणी के अनुसार व्यवहारी को नये सिरे से संसूचित की जायेगी। एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन निक्षिप्त रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम के खण्ड 4 की सारणी के अनुसार संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

(3) एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन पूर्व में किये गये किसी संदाय का प्रतिदाय इस स्कीम के अधीन कर की रिबेट और/या अधित्यजन के कारण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

[प.12(5)वित्त/कर/2026-26]

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2026

एस.ओ.171.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./95/24इ दिनांक 11.10.2017 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न वर्ग के यानों के लिए और ऐसे समय पर, ग्रीन टैक्स कहे जाने वाले उपकर की दर, उनके प्रत्येक के सामने सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	मोटर यान का वर्ग	उपकर की दर (रुपये में)
1	2	3
1.	<b>गैर परिवहन यान:</b> मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण, या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय।	
	<b>(क) दो पहिया वाले</b>	
	(i) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष तक है।	750/-
	(ii) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक और बीस वर्ष तक है।	1500/-
	(iii) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बीस वर्ष से अधिक है।	3000/-
	<b>(ख) चार पहिया वाले पेट्रोल (कार, जीप)</b>	
	(i) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष तक है।	2500/-
	(ii) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक और बीस वर्ष तक है।	5000/-
	(iii) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बीस वर्ष से अधिक है।	10000/-
	<b>(ग) चार पहिया वाले डीजल (कार, जीप)</b>	
	(i) 1500 सीसी तक की ईंजन क्षमता वाला यान	
	(क) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष तक है।	2500/-
	(ख) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक और बीस वर्ष तक है।	5000/-
	(ग) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बीस वर्ष से अधिक है।	10000/-
	(ii) 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक की ईंजन क्षमता वाला यान	
	(क) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष तक है।	3500/-

	(ख) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक और बीस वर्ष तक है।	7000/-
	(ग) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बीस वर्ष से अधिक है।	14000/-
	(iii) 5 तक की बैठक क्षमता के साथ 2000 सीसी से अधिक ईंजन क्षमता वाला यान	
	(क) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष तक है।	5000/-
	(ख) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक और बीस वर्ष तक है।	10000/-
	(ग) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बीस वर्ष से अधिक है।	20000/-
	(iv) 5 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ 2000 सीसी से अधिक ईंजन क्षमता वाला यान	
	(क) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष तक है।	7500/-
	(ख) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक और बीस वर्ष तक है।	15000/-
	(ग) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बीस वर्ष से अधिक है।	30000/-
	<b>(घ) उपर्युक्त से भिन्न</b>	
	(i) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष तक है।	1500/-
	(ii) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक और बीस वर्ष तक है।	3000/-
	(iii) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बीस वर्ष से अधिक है।	6000/-
2.	<b>परिवहन यान:</b> मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण, या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.59) की धारा 56 के अधीन ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय।	
	<b>(क) दो/तीन पहिया वाले यात्री/माल यान</b>	
	(i) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष तक है।	500/-

(ii) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक और पंद्रह वर्ष तक है।	1000/-
(iii) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक है।	2000/-
<b>(ख) दो/तीन पहिया वाले यात्री/माल यानों से भिन्न</b>	
<b>(i) हल्के मोटर यान</b>	
(क) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष तक है।	1500/-
(ख) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक और पंद्रह वर्ष तक है।	3000/-
(ग) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक है।	6000/-
<b>(ii) हल्के मोटर यान से भिन्न</b>	
(क) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष तक है।	4000/-
(ख) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक और पंद्रह वर्ष तक है।	5000/-
(ग) यदि यान की आयु इसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक है।	10000/-

[प.6(179)परि/कर/मु./2026/1]

राज्यपाल के आदेश से,

**(ओम प्रकाश बुनकर)**

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग****अधिसूचना****जयपुर, फरवरी 11, 2026**

**एस.ओ.172.-**राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि इस अधिसूचना की तारीख को या के पश्चात् राज्य में रजिस्ट्रीकृत नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट यानों का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला स्वामी या व्यक्ति, उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 पर उल्लिखित यानों के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा विनिर्दिष्ट

दरों पर, मोटर यान कर के आवधिक संदाय करने के बजाय, धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के द्वितीय परंतुक के अधीन एकबारीय कर संदाय करने का चयन कर सकेगा, अर्थात्:-

**सारणी**

क्र.सं.	परिवहन यान का वर्ग	एकबारीय कर की दर
1	2	3
1.	16500 किग्रा से अधिक सकल यान भार वाले तीन पहिया से अधिक वाले माल यान और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के द्वितीय परंतुक के अधीन एकबारीय कर के संदाय का चयन किया हो	यान/चेसिस की लागत का 7 प्रतिशत

[प.6(179)परि/कर/मु./2026/2]

राज्यपाल के आदेश से,

(ओम प्रकाश बुनकर)

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, फरवरी 11, 2026**

**एस.ओ.173.-केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन में विलंब के लिए संदेय अतिरिक्त फीस,-**

- कृषि ट्रैक्टर के मामले में,-
  - यदि विलंब एक वर्ष तक है, तो अधिकतम 2500/- रु., और
  - यदि विलंब एक वर्ष से अधिक है, तो अधिकतम 5000/- रु., के अध्यक्षीन रहते हुए 500/- रु. प्रति मास होगी।
- दो पहिया वाले गैर-परिवहन यान के मामले में, अधिकतम 1000/- रु. के अध्यक्षीन रहते हुए 300/- रु. प्रति मास होगी।  
यह अधिसूचना 30.09.2026 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.7(94)परि/नियम/मु./94/1]

राज्यपाल के आदेश से,

(ओम प्रकाश बुनकर)

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग****अधिसूचना****जयपुर, फरवरी 11, 2026**

**एस.ओ.174.**-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 24 के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "5000/- और प्रति टन अधिक भार के लिए 1000/- अतिरिक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "20000/- और प्रति टन अधिक भार के लिए 1000/- अतिरिक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/2]

राज्यपाल के आदेश से,

**(ओम प्रकाश बुनकर)**

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग****अधिसूचना****जयपुर, फरवरी 11, 2026**

**एस.ओ.175.**-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट से भिन्न अन्य राज्य का परिवहन यान या संनिर्माण उपस्कर यान, उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर का संदाय किये बिना राजस्थान में संचालित होता है, तो व्यतिक्रमी शोध्य कर के अतिरिक्त,-

(i) परिवहन यान के मामले में, शोध्य कर के दस गुना; और

(ii) संनिर्माण उपस्कर यान के मामले में, शोध्य कर के पंद्रह गुना,

शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।

[प.6(179)परि/कर/मु./2026/3]

राज्यपाल के आदेश से,

**(ओम प्रकाश बुनकर)**

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, फरवरी 11, 2026**

**एस.ओ.176.**-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, भारत में कहीं भी पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों और भारत के बाहर से आयातित यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय एक लाख रुपये से अधिक के एकबारीय कर के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है, यदि ऐसा यान केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81क के अधीन विंटेज मोटर यान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

[प.6(179)परि/कर/मु./2026/4]

राज्यपाल के आदेश से,

**(ओम प्रकाश बुनकर)**

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, फरवरी 11, 2026**

**एस.ओ.177.**-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2024/1 दिनांक 10.07.2024 में इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दस वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5 प्रतिशत की दर से" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2026/1क/5]

राज्यपाल के आदेश से,

**(ओम प्रकाश बुनकर)**

संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**Jaipur, February 11, 2026**

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notifications No.F.4(2)FD/Tax/2026-126 to 132, No.F.12(5)FD/Tax/2026-26 and Transport Department Notifications No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2026/1 to 5, No.F.7(94)/trans/rules/hq/94/1 and No.F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/2 dated February 11, 2026.

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.163.**-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2024-88 dated 10.07.2024, the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that in case of the instrument executed prior to March 31, 2004 and pending before Collector (Stamps) for adjudication of stamp duty and market rates of that period are not available, the stamp duty shall be reduced and charged as under:-

<b>S. No.</b>	<b>Period of Execution</b>	<b>Stamp Duty payable</b>
1.	If the document is executed upto March 31, 1995	On 20% of the market value of the property prevailing on the date of reference to Collector (Stamps).
2.	If the document is executed between April 1, 1995 to March 31, 2000	On 30% of the market value of the property prevailing on the date of reference to Collector (Stamps).
3.	If the document is executed between April 1, 2000 to March 31, 2004	On 40% of the market value of the property prevailing on the date of reference to Collector (Stamps).

**Note:** If the market rates of the above periods are available then the stamp duty shall be calculated and charged on the basis of such market rates.

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-126]

By order of the Governor,

**(Nathmal Didel)**

Special Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.164.**-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2024-78 dated 10.07.2024, the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that the stamp duty chargeable on the assignment deed, by whatever name called, executed by the person who is eligible to get lease deed from local authority under sub-rule (3) of rule 11 or sub-rule (1) of rule 19 of the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 for the purpose of assigning or transferring his right in favour of another person to get the lease deed, shall be reduced and charged as under:-

S.No.	Description of Instrument	Stamp Duty
1	2	3
1.	Any instrument of the nature of assignment in respect of the land relating to plotted project approved under the prevalent Township Policy of the State Government	Rupees five hundred on every such instrument.
2.	Any instrument of the nature of assignment in respect of the land relating to Group Housing Project under the prevalent Township Policy of the State Government	5% on the market value of the property in respect of which assignment deed is executed.
3.	Any instrument of the nature of assignment in respect of the land where single patta is issued by the Urban Local Bodies under the prevalent Township Policy of the State Government or otherwise	5% on the market value of the property in respect of which assignment deed is executed.

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-127]

By order of the Governor,

**(Nathmal Didel)**

Special Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.165.**-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's

notification number F.2(97)FD/Tax/2010-11 dated 25.04.2011 and F.4(2)FD/Tax/2024-93 dated 10.07.2024, the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that the stamp duty and registration fee chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 and 4 respectively of the said table:-

Table

S. No.	Description of Instrument	Stamp Duty	Registration Fee
1	2	3	4
1.	Debt assignment executed in respect of performing assets (standard assets)	0.25 percent of the amount of debt subject to maximum of rupees one lakh.	0.5 percent of the amount of debt subject to maximum of rupees one lakh.
2.	Security receipts issued under sub-section (1) and (2) of section 7 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Central Act No. 54 of 2002)	0.25 percent of the amount of Net Asset Value subject to maximum of rupees one lakh.	0.5 percent of the amount of Net Asset Value subject to maximum of rupees one lakh.
3.	Instruments specified in clause (d) of Article 5 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees one lakh.
4.	Instruments specified in Article 6 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees one lakh.
5.	Instruments specified in sub-clause (ii) of clause (b) of Article 30 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount of further charge secured subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount of further charge secured subject to maximum of rupees one lakh.
6.	Instruments specified in clause (b) of Article 37 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount secured subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount secured subject to maximum of rupees one lakh.
7.	Instruments specified in Article 50 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount secured and/or of the market value of the property mortgaged subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount secured and/or of the market value of the property mortgaged subject to maximum of rupees one lakh.

8.	Any instrument specified in column number 2 against serial number 3, 4, 5, 6 and 7 above, if executed in favour of Micro, Small or Medium Enterprises	Half of the rate as specified in column number 3 for the instruments mentioned in column number 2 against serial number 3, 4, 5, 6 or 7 respectively subject to maximum of rupees ten lakh.	0.5 percent of the amount on which stamp duty is charged on the instruments mentioned in column number 2 against serial number 3, 4, 5, 6 or 7 respectively subject to maximum of rupees one lakh.
----	---	---	--

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-128]

By order of the Governor,

(Nathmal Didel)

Special Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.166.**-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-280 dated 24.02.2021, as amended from time to time, the State Government hereby determines the rates for assessment of market value of the following categories of land for whole of the State as under:-

**1. Rates of land for industrial purposes**

Rates of industrial land in RIICO industrial area or land converted for industrial purposes or agriculture land being used for industrial purposes shall be,-

- (i) equal to the rates determined by RIICO in RIICO Industrial Area; and
- (ii) equal to three times of the rates of agriculture land of that area in other cases but if such rates are more than the rates determined by RIICO in nearest RIICO Industrial Area then equal to the rates determined by RIICO in that nearest RIICO Industrial Area.

**2. Rates of land for institutional, residential and commercial purposes in RIICO Industrial Area**

Rates of institutional, residential and commercial land in RIICO Industrial Area shall be,-

- (i) equal to the rates of industrial land determined by RIICO in case of institutional land;
- (ii) equal to two times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of residential land; and
- (iii) equal to four times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of commercial land.

**3. Rates of land for institutional purposes outside RIICO Industrial Area**

Rates of land converted for institutional purposes or agriculture land is being used for institutional purposes shall be equal to 1.5 times of the rate of agriculture land of that area.

**Explanation:** (i) In areas where rates of agriculture land are not recommended by the District Level Committee, such rates shall be calculated as per the provisions of clause 16.

(ii) Institution shall include educational institutions, training institutions, coaching institutions, hostels, hospitals, banks, financial institutions, insurance companies etc..

#### **4. Rates of land for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes**

Rates of land converted for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes or agriculture land is being used for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes shall be equal to two times of the rates of agriculture land of that area but if such rates are more than the rates determined by the RIICO in nearest RIICO Industrial Area then equal to the rates determined by the RIICO in that nearest RIICO Industrial Area.

#### **5. Rates of land for agro-industrial purposes**

Rates of land converted for agro-industrial purposes or agriculture land being used for agro-industrial purposes shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

#### **6. Rates of land for mining purposes**

(i) In case of agriculture land purchased for mining purposes or agriculture land in respect of which consent deed is executed between land owner and lessee for mining purposes shall be equal to three times of the rates of agriculture land of that area.

(ii) In case of new mining lease (whether granted through auction or otherwise), renewal of mining lease or transfer of mining lease shall be equal to four times of the rates of agriculture land of that area.

#### **7. Rates of land for Resort purposes**

Rates of the land converted for resort purposes or agriculture land is being used for resort purposes shall be equal to seventy five percent of the rates of commercial land of that area.

#### **8. Rates of land for hotel, motel, guest house and restaurant purposes**

Rates of the land converted for hotel, motel, guest house and restaurant purposes or land is being used for the above purposes shall be equal to the rates of the commercial land of that area.

#### **9. Rates of land for marriage garden purposes**

Rates of the land converted for marriage garden purposes or agriculture land is being used for marriage garden purposes shall be equal to fifty percent of the rates of commercial land of that area.

#### **10. Rates of agriculture land purchased by companies, firms or institutions**

Rates of the agriculture land purchased by companies, firms or institutions shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

#### **11. Rates of land for farm house purposes**

Rates of the agriculture land is being used for farm house purposes or land converted for farm house purposes shall be equal to three times of the rates of agriculture land of that area.

#### **12. Rates of residential and commercial plots having area of 1000 sq. meters or more**

Rates of residential or commercial plots having area of 1000 sq. meters or more shall be as follows:-

S. No.	Area	Valuation based on the rates recommended by District Level Committee or determined by the State Government shall be reduced as under
1.	1000 to 2000 sq. meters	5 %
2.	More than 2000 sq. meters and upto 3000 sq. meters	10%
3.	More than 3000 sq. meters	15%

"

### 13. Rates of corner plots

Rates of corner plots, except plots of agriculture land having area more than 1000 sq. meter, shall be 10% more.

### 14. Rates of land for which mixed land use patta/lease deed has been issued

On sale or transfer of vacant land, for which patta/lease deed of mixed land use has been issued by Development Authorities or Urban Improvement Trusts or other Local Bodies, the rate of such land shall be equal to 50% of the rate of commercial land of that area.

### 15. Rates of land under different land use

Rates of land which is being used for the purpose other than its approved use shall be equal to the rates of the category of its actual use or its approved use, whichever is higher at the time of execution of the instrument. Valuation shall not be done on the basis of future use of any land.

### 16. Rates of agriculture, residential and commercial land of a particular area where rates of such land are not recommended by the District Level Committee

- (i) Rates of agriculture land shall be equal to one third of the rates of residential land of that area;
- (ii) Rates of residential land shall be equal to one third of the rates of commercial land of that area; and
- (iii) Rates of commercial land shall be equal to three times of the rates of residential land of that area.

### 17. Rates of agriculture land having area upto 2000 sq. meter situated within the limits of periphery belt of urban areas

Rates of agriculture land having area upto 2000 sq. meter situated in urban areas or urbanisable limits or in periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be equal to the rates of residential land of that area.

**Explanation:**(i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale and gift.

- (ii) Where in the instrument of sale or gift of agriculture land, the number of buyers or donees are more than one and share of any buyer or donee is 2000 square meter or less, value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area.

### 18. Rates of agriculture land having area upto 500 sq. meter situated outside the limits of periphery belt of urban areas

Rates of agriculture land having area upto 500 sq. meter situated outside the periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), except where such land comprises in a single khasra or is in single holding or where

such land is purchased by a khatedar of the adjoining agriculture land, shall be equal to the rates of residential land of that area.

**Explanation:** (i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale and gift.

(ii) Where in the instrument of sale or gift of agriculture land, the number of buyers or donees are more than one and share of any buyer or donee is 500 square meters or less, value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area.

#### **19. Rates of land for mobile tower purposes**

Rates of land being used for mobile tower purposes or land leased out for mobile tower purposes shall be equal to the rates of commercial land of that area.

#### **20. Rates of land for poultry farm, dairy or fisheries purposes**

Rates of agriculture land converted for poultry farm, dairy or fisheries purposes or is being used for poultry farm, dairy or fisheries purposes shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

#### **21. Rates of land for tourism unit purposes**

Rates of land converted or being used for tourism unit as defined in the Tourism Policy/Scheme issued by the State Government, from time to time, excluding the units specified in clause 22 and 23 shall be equal to the rates of industrial land of that area.

#### **22. Rates of land for resort, sports resort, health resort, spa, camping site, amusement park and animal safari park purposes**

Rates of land converted or being used for resort, sports resort, health resort, spa, camping site, amusement park or animal safari park as defined in the Tourism Policy/Scheme issued by the State Government, from time to time, shall be equal to the rates of the agriculture land of that area.

#### **23. Rates of land for convention centre, community centre and community hall purposes**

Rates of land converted or being used for convention centre, community centre or community hall purposes in urban area shall be equal to the rates of residential land of that area and in rural areas shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

**Explanation:** Rates specified in clause 21, 22 and 23 above shall be applicable only when the purchaser or leaseholder, as the case may be, submits the Entitlement Certificate or approval in this regard issued by the appropriate authority under the prevailing Rajasthan Investment Promotion Scheme. Such Entitlement Certificate or approval shall not be treated as an Entitlement Certificate or approval for exemption or concession from stamp duty.

#### **24. Rates of land for warehouse purposes**

Rates of land converted or being used for warehouse purposes shall be equal to the rates of the industrial land of that area.

#### **25. Rates of lands other than agriculture lands situated on the roads within limits of urban areas having width of more than 40 feet**

Rates of lands other than agriculture lands situated on the roads within limits of urban areas having width of more than 40 feet shall be as under:-

S.No.	Width of Road	Rate applicable
1.	40 feet	As prescribed by the concerned District Level Committee.
2.	More than 40 feet and upto 60 feet	By increasing 10% of the rate applicable on the land situated on 40 feet wide road.
3.	More than 60 feet but less than 100 feet	By increasing 15% of the rate applicable on the land situated on 40 feet wide road.
4.	100 feet or more	By increasing 20% of the rate applicable on the land situated on 40 feet wide road.

**Explanation:** In case of difference of rates determined by DLC and by the State Government the higher rates shall be applicable.

- Note:** (i) The rates specified in clause 1 to 25 above shall also be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded. However in pending cases, stamp duty shall not be charged more than the stamp duty payable on the date of execution of such instrument.
- (ii) "that area", used with reference to rates of land of a particular category, means the area falling within the same DLC circle.

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-129]

By order of the Governor,

(Nathmal Didel)

Special Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.167.**-In exercise of the powers conferred by sections 18 and 22 of the Rajasthan Finance Act, 2020 (Act No. 9 of 2020), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2024-65 dated 08.02.2024, namely:-

**AMENDMENT**

In the said notification,-

- (i) in clause (i), the existing expression "and", appearing at the end, shall be deleted;
- (ii) in clause (ii), for the existing punctuation mark ":", appearing at the end, the expression "; and" shall be substituted; and

(iii) after the clause (ii), so amended and before the existing proviso, the following new clause (iii) shall be inserted, namely:-

"(iii) land tax payable prior to 08.02.2024 on all classes of lands along with penalty and interest payable thereon, subject to condition that 25% of the original amount of the land tax payable by the land holder is deposited upto 30.09.2026:"

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-130]

By order of the Governor,

**(Nathmal Didel)**

Special Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT**

**(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.168.**-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.2(9)FD/Tax-Div./2001-Part dated 27.02.2002, the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that stamp duty chargeable on the instruments of loan shall be reduced and charged on the enhanced amount only where such instrument is executed in continuation of the existing loan instrument and the existing loan instrument was duly stamped at the time of its execution.

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-131]

By order of the Governor,

**(Nathmal Didel)**

Special Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT**

**(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.169.**- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(3)FD/ Tax/ 2017-129 dated 31.03.2017, the State Government hereby notifies that the surcharge at the rate of 13 percent shall be charged on the stamp duty payable on all the instruments under section 3 read with Schedule to the said Act, except the instruments chargeable with 10 percent surcharge as per proviso to sub-section (1) of section 3-A of the said Act, for the purposes of the development of basic infrastructure facilities and for financing Municipalities and Panchayati Raj Institutions.

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-132]

By order of the Governor,

**(Nathmal Didel)**

Special Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.170.-**In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following "Amnesty Scheme-2026", hereinafter referred to as the scheme, for rebate of tax and settlement of outstanding demands and disputed amounts, namely:-

**1. Short title and operative period.-** (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme-2026.

(2) This scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 30.09.2026.

**2. Application.-** This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts under any Act in respect of period upto 30.06.2017, except outstanding demand or disputed amount pertaining to the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956 in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

**3. Definitions.-** (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

- (a) "Act" means any of the following Acts:-
- (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);
  - (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
  - (iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956);
  - (iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);
  - (v) The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999);
  - (vi) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988);
  - (vii) The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);
  - (viii) The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996); and
  - (ix) The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994);
- (b) "Applicant" means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under this scheme;
- (c) "Assessing Authority" means any officer or authority appointed under the Act;
- (d) "Dealer" means any dealer as defined under the Act;
- (e) "Demand and Collection Register (DCR)" means the register containing the details, in the form of entries, of outstanding demand(s) pertaining to any assessment at the ward level either on departmental portal or in physical form;
- (f) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;

- (g) "Disputed Amount" means any tax, interest, fee or penalty for which any show cause notice has been issued or against which an appeal, revision, writ petition or special leave petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority;
- (h) "Final amount" means the amount of outstanding demand or disputed amount which the Assessing Authority determines after adjustment/ rectification/ reassessment etc., if any;
- (i) "Outstanding Demand" means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register; and
- (j) "Tax" shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or disputed amount pertains.

**4. Benefits under this scheme.-** The rebate of tax and waiver of interest, penalty or late fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table given below on fulfillment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this scheme:-

**Table**  
**For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee**

S. No.	Category of outstanding demand or disputed amount	Conditions	Extent of Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	2	3	4
1.	Outstanding demand or disputed amount not more than rupees one crore in a single entry or in a single case, as the case may be.	The applicant has deposited 50% of the amount of tax.	Remaining amount of tax and whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

**Explanation:**

(1) Where any applicant conveys his willingness for availing benefit under this scheme and deposits the required amount upto 30.09.2026 or within ten days from the day on which the Assessing Authority conveys the final amount required to be paid under this scheme, whichever is later, he shall be eligible for the benefits available in the scheme. In case, the applicant fails to deposit the final amount in the time specified above, he shall not be eligible for any benefit under this scheme. However, the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from paying the required amount in the stipulated time, condone such delay and may allow the applicant to avail the benefits under this scheme.

(2) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation, including the amount deposited for filing of an appeal, and if option is being submitted for the balance outstanding demand/ disputed amount, the amount already deposited, if not adjusted in the Demand and Collection Register (DCR) prior to the issuance of this scheme and if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any Court order, it shall be adjusted accordingly. The benefits under this scheme shall be available only for the balance of outstanding demand/ disputed amount as per the provisions of this scheme.

(3) Where any application for adjustment/ rectification/ reassessment etc. related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the Assessing Authority concerned, then on intimation in writing from dealer or person, he shall dispose it on priority basis.

(4) In cases pertaining to disputed amount for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/ or penalty shall be deemed to be as per the original assessment/ reassessment order or show cause notice issued in regard of the said disputed amount. In such cases, the Assessing Authority concerned shall withdraw the proceeding, if any, pending before himself or submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per the Table above, within the stipulated time.

(5) Where the case of prosecution has been filed by the department under clause (d) of subsection (1) of section 67 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 or similar provisions of the repealed Act(s) and the applicant has deposited the amount as required under this scheme, the Assessing Authority shall proceed to withdraw the case from the Court.

**5. Conditions.-** The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table and Explanation (1) of clause 4;
- (ii) The applicant has submitted an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this scheme; and
- (iii) No refund for any year or regarding any Act shall be allowed if it is co-related in any manner due to rebate of tax and/ or waiver under this scheme.

**6. Procedure for availing benefit.-** (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website [www.rajtax.gov.in](http://www.rajtax.gov.in) regarding the same to the concerned Assessing Authority.

(2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for outstanding demand/ disputed amount under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.

(3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount(s) against the dealer or person alongwith the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.

(4) The detailed procedure, clarification and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or disputed amount under serial number 1 of the Table of clause 4, the decision of the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan shall be final.

**7. Provisions for cases pending under Amnesty Scheme-2025.-** (1) Where a dealer has opted for payment under Amnesty Scheme-2025 and has deposited the required amount fully upto 30.09.2025 or within ten days from the day on which the Assessing Authority conveys the final amount required to be paid under said scheme of 2025, whichever is later, such cases shall be governed by the provisions of the said scheme of 2025.

(2) In all other cases not covered under sub-clause (1) above, in which any task is pending under Amnesty Scheme-2025 prior to the issuance of this scheme, willingness submitted under the said scheme of 2025 shall be deemed to have been submitted under this scheme and amount required to be paid shall be communicated afresh to the dealer as per the Table of clause 4 of this scheme. The amount deposited, if any, under Amnesty Scheme-2025 shall be adjusted against the amount required to be paid as per the Table of clause 4 of this scheme.

(3) No refund of any payment already made under Amnesty Scheme-2025 shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

[F.12(5)FD/Tax/2026-26]

By order of the Governor,

**(Nathmal Didel)**

Special Secretary to the Government.

**TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION**  
**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.171.**-In exercise of the powers conferred by section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/24E dated 11.10.2017, as amended from time to time, the State Government hereby, with immediate effect, specifies the rate of cess called Green Tax for different class of vehicles and at such time as specified in column 2 of the table given below, payable at the rates as specified against each in column 3 thereof, namely:-

S.No.	Class of vehicle	Rate of cess (in rupees )
1	2	3
1.	<b>Non Transport Vehicle:</b> At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	
	<b>(A) Two Wheelers</b>	
	(i) If the age of the vehicle is upto fifteen years from the date of its first registration.	750/-
	(ii) If the age of the vehicle is more than fifteen years and upto twenty years from the date of its first registration.	1500/-
	(iii) If the age of the vehicle is more than twenty years from the date of its first registration.	3000/-
	<b>(B) Four Wheeled petrol (Car, jeep)</b>	
	(i) If the age of the vehicle is upto fifteen years from the date of its first registration.	2500/-
	(ii) If the age of the vehicle is more than fifteen years and upto twenty years from the date of its first registration.	5000/-
	(iii) If the age of the vehicle is more than twenty years from the date of its first registration.	10000/-
	<b>(C) Four Wheeled Diesel (Car, Jeep)</b>	
	<b>(i) vehicle with engine capacity upto 1500 cc</b>	
	(a) If the age of the vehicle is upto fifteen years from the date of its first registration.	2500/-
	(b) If the age of the vehicle is more than fifteen years and upto twenty years from the date of its first registration.	5000/-

	(c) If the age of the vehicle is more than twenty years from the date of its first registration.	10000/-
	<b>(ii) vehicle with engine capacity above 1500 cc and upto 2000 cc</b>	
	(a) If the age of the vehicle is upto fifteen years from the date of its first registration.	3500/-
	(b) If the age of the vehicle is more than fifteen years and upto twenty years from the date of its first registration.	7000/-
	(c) If the age of the vehicle is more than twenty years from the date of its first registration.	14000/-
	<b>(iii) vehicle with engine capacity above 2000 cc with seating capacity upto 5</b>	
	(a) If the age of the vehicle is upto fifteen years from the date of its first registration.	5000/-
	(b) If the age of the vehicle is more than fifteen years and upto twenty years from the date of its first registration.	10000/-
	(c) If the age of the vehicle is more than twenty years from the date of its first registration.	20000/-
	<b>(iv) vehicle with engine capacity above 2000 cc with seating capacity more than 5</b>	
	(a) If the age of the vehicle is upto fifteen years from the date of its first registration.	7500/-
	(b) If the age of the vehicle is more than fifteen years and upto twenty years from the date of its first registration.	15000/-
	(c) If the age of the vehicle is more than twenty years from the date of its first registration.	30000/-
	<b>(D) Other than above</b>	
	(i) If the age of the vehicle is upto fifteen years from the date of its first registration.	1500/-
	(ii) If the age of the vehicle is more than fifteen years and upto twenty years from the date of its first registration.	3000/-
	(iii) If the age of the vehicle is more than twenty years from the date of its first registration.	6000/-
2.	<b>Transport Vehicle:</b> At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	
	<b>(A) Two/ three wheeled passenger/ goods vehicles</b>	
	(i) If the age of the vehicle is upto six years from the date of its first registration.	500/-
	(ii) If the age of the vehicle is more than six years and upto fifteen years from the date of its first registration.	1000/-

(iii) If the age of the vehicle is more than fifteen years from the date of its first registration.	2000/-
<b>(B) Passenger/ goods vehicles other than two/ three wheeled vehicles</b>	
<b>(i) Light motor vehicle</b>	
(a) If the age of the vehicle is upto six years from the date of its first registration.	1500/-
(b) If the age of the vehicle is more than six years and upto fifteen years from the date of its first registration.	3000/-
(c) If the age of the vehicle is more than fifteen years from the date of its first registration.	6000/-
<b>(ii) Other than light motor vehicle</b>	
(a) If the age of the vehicle is upto six years from the date of its first registration.	4000/-
(b) If the age of the vehicle is more than six years and upto fifteen years from the date of its first registration.	5000/-
(c) If the age of the vehicle is more than fifteen years from the date of its first registration.	10000/-

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2026/1]  
By order of the Governor,

**(Om Prakash Bunkar)**  
Joint Secretary to the Government.

**TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION**  
**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.172.**-In exercise of the powers conferred by second proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby notifies that the owner or person having possession or control of vehicles specified in column number 2 of table given below registered in the State on or after the date of this notification may opt to pay One Time Tax under second proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 4, instead to pay periodically motor vehicle tax, at the rates as specified in column number 3 against vehicles mentioned in column number 2 of the said table, namely:-

Table

S. No.	Class of Transport Vehicle	Rate of One Time Tax
1	2	3
1.	More than three wheeled goods vehicle having Gross Vehicle Weight more than 16500 kg. and opted to pay One Time Tax under second proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the said Act	7% of the cost of the vehicle/ chassis

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2026/2]

By order of the Governor,

**(Om Prakash Bunkar)**

Joint Secretary to the Government.

**TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.173.**-In exercise of the powers conferred by rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby specifies that the additional fee payable for delay in applying for renewal of certificate of registration shall be,-

1. in case of agriculture tractor Rs. 500/- per month, subject to maximum of,-
  - (i) Rs. 2500/-, if delay is upto one year; and
  - (ii) Rs. 5000/-, if delay is more than one year.
2. in case of two wheeled non-transport vehicle Rs. 300/- per month, subject to maximum of Rs. 1000/-.

This notification shall remain in force upto 30.09.2026

[No.F.7(94)/trans/rules/hq/94/1]

By order of the Governor,

**(Om Prakash Bunkar)**

Joint Secretary to the Government.

**TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT  
NOTIFICATION  
Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.174.**-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.7(47)/Pari/ Rules/ H.Q./ 87/ Part/1/1 dated 24.02.2021, as amended from time to time, with immediate effect, namely:-

**AMENDMENT**

In the said notification, in column number 4 against serial number 24, for the existing expression "5000/- and additional", the expression "20000/- and additional" shall be substituted.

[No.F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/2]  
By order of the Governor,

**(Om Prakash Bunkar)**  
Joint Secretary to the Government.

**TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT  
NOTIFICATION  
Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.175.**-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 6 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby specifies that where a transport vehicle or a construction equipment vehicle of other state other than that referred to in sub-section (4) of section 6 of the said Act, plies in Rajasthan without paying the tax leviable under the said Act, the defaulter shall be liable to pay, in addition to the tax due, a penalty which shall be,-

- (i) in case of transport vehicle, ten times of the tax due; and
- (ii) in case of construction equipment vehicle, fifteen times of the tax due.

[No. F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2026/3]  
By order of the Governor,

**(Om Prakash Bunkar)**  
Joint Secretary to the Government.

**TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION**  
**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.176.**-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby exempts from payment of One Time Tax exceeding rupees one lac payable under clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the said Act on motor vehicles already registered anywhere in India and vehicles imported from outside India, if such vehicle is registered as vintage motor vehicle under rule 81A of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2026/4]  
By order of the Governor,

**(Om Prakash Bunkar)**  
Joint Secretary to the Government.

**TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION**  
**Jaipur, February 11, 2026**

**S.O.177.**-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024/1 dated 10.07.2024, namely:-

**AMENDMENT**

In the said notification, in clause (iv) of the proviso, for the existing expression “at the rate of 5% per financial year or part thereof upto Five years from the date of registration.”, the expression “at the rate of 5% per financial year or part thereof upto 10 years from the date of registration.” shall be substituted.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2026/1A/5]  
By order of the Governor,

**(Om Prakash Bunkar)**  
Joint Secretary to the Government.